

उत्पाद प्रपत्र संख्या-I B

विदेशी शराब (बीयर एवं वाइन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति हो ।

(केवल झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची के लिए)

जिला का नाम - गोड्डा

रजिस्टर सं० 71 में लाइसेंस सं० 01/2013-14

लाइसेंस की तारीख.....

अनुज्ञाधारी का नाम झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड,
01.07.2013 से 31.03.2014
लाइसेंस अवधि..... से..... तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान गोड्डा

चौहददी.....

वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस 600,000/- (रु: छारस हजार रुपया)

अग्रिम रूप में भुगतान रु० 6,00,000/- (रु: छारस हजार) - चा० सं० 02 दिनांक 25.6.20

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि० को जिला के उपायुक्त दिनांक 01-07-20 से 31 मार्च, 2014 तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके ।

1- इस लाइसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाइसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा ।

2- झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रु० 600,000/- का भुगतान करेगा । वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा ।

महाप्रबन्धक, कॉरपोरेशन, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची के पत्रांक 1597 दिनांक 24.3.2014 के आदेशों में उपायुक्त, गोड्डा के आदेश दिनांक 31.3.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण किया गया ।

अधीक्षक उत्पाद
दुमका-सह-गोड्डा
31/3/2014

भारखंड सरकार उत्पाद एवं मध्य विभाग के
अधिसूचना संख्या 429 दिनांक 09-03-2015 के
आखौले में सम्पूर्ण भारखंड राज्य के लिए
समेकित अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क मी 10,00,000/-00
(दस करोड़) उपभा-पालान सं 88 दिनांक 19-03-2015
द्वारा प्रोजेक्ट भवन-धुबिशंकी में जमा करने के
उपरांत उपायुक्त गौडा के आदेश दिनांक 31-3-2015 के
द्वारा वर्ष 2015-16 (01-04-2015 से 31-03-2016 तक) के
लिए अनुज्ञापत्र नवीकरण किया गया।

21-8105/10
M.E. 31/3/15
अधीक्षक उत्पाद
दुमका-सह-गोडडा

अनुज्ञात उत्पाद भारखंड शंकी के पत्रांक 1296 दिनांक
29-03-2016 के आखौले में उपायुक्त गौडा के
आदेश दिनांक 01-04-2016 के द्वारा वर्ष 2016-17
(दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2017 तक) के लिए
अनुज्ञापत्र नवीकरण किया गया।

2105-2-25
M.E. 01/4/16
अधीक्षक उत्पाद
दुमका-सह-गोडडा
07/04/16

जामिंदार काशीजिद
दुमका-सह-गोडडा

अनुज्ञप्ति संख्या 01/2013-14

उत्पाद प्रपत्र - 27 ड

अनुज्ञाशुल्क 98214/-

चार्ज 01 दि 01.7.2014

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गतगोड्डा.....जिला में देशी/मसालेदार देशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, कोगोड्डा.....जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-20 के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक-01-07-2013 से 31-03-2014..... के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा -

शर्तें

- 1- इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी ।
- 2- अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आबद्ध रहेगा ।

महाप्रबन्धक, आपूर्ति, झारखण्ड राज्य, बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0
राँची के पत्रांक 1598 दिनांक 24.3.2014 के भाषावक के उपायुक्त गोड्डा
इ के भाषावक दिनांक 31.3.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए
अनुज्ञप्ति नवीकृत किया गया ।

अधीक्षक उत्पाद
दुमका-सह-गोड्डा
31/3/2014

सम्पूर्ण भारतभंड राज्य के लिए निर्धारित देशी
 शाख एवं मसालेदार देशी शाख की न्यूनतम
 प्रमाणित मात्रा पर 2.2% को प्रति एक 100 की 100 पर
 की दर से गणना पर अनुशासक की समेकित
 राशि 3,13,35,860:00 (तीन करोड़ तेरह लाख पैंतीस
 हजार आठ सौ साठ) रुपये प्रोजेक्ट भवन, धुर्गा
 कोषाला में चालान सं 87 दिनांक 19.3.2015
 द्वारा जमा करने के उपरान्त उपायुक्त गौडा के
 संचिका क्रदेश दिनांक 31.03.2015 आय वर्ष 2015-16
 (दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2016 तक) के लिए
 नवीकरण किया गया।

M. S. / 31/3/15

अधीक्षक उत्पाद
 दुमका-सह-गोडडा

al

अनुक्त उत्पाद भारतभंड शंकी के पचास, 1296 दिनांक
 29.03.2016 के आवेदन के उपरान्त गौडा के क्रदेश
 दिनांक 01-04-2016 के आय वर्ष 2016-17 (दिनांक
 01-04-2016 से 31-03-2017 तक) के लिए अनुशासक
 नवीकरण किया गया।

M. S. / 01/4/16

अधीक्षक उत्पाद

दुमका-सह-गोडडा

al / 01/04/2016

आपने कोशिश

आपने कोशिश